

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

मुकाम

वनाम

रसम मुकदमा

नं.

245/13 रा. वाड

सं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-1-2018	<p>पजावली पैश हुई। वडिल उमम परस उपाखिले। उमम परस की बहस सुनी गयी। पजावली का अवलोकन किया गया। प्राथीगण ने उपनै-प्राथना पज आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में वारिल लख्ये करे दीहराले हुये निवेदन किया कि प्राथीगण द्वारा लख्ये वाड पज जिले सं 245/13 2013 श्रीमती गंगा देवी बनाम राधाकिशम, न्यायालय में विचारधीन था। जिले नियत पेरी 27-9-2013 की थी। नियत पेरी पर प्राथीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से उपाखिले नहीं हो सके। जिले दिनांक 27-9-2013 को वाड पज उमम हाजरी में खरीफ कर दिया। वादीगण एष अधिवक्ता की अनुपाखिले का कारण युमिलेपुमल है। अतः वादीगण का वाड पज न्यायाखिले में पुनः नम्बर पर लिखे जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>परिवारी अधिवक्ता ने जवाब में प्रकटा संख्या आखिले नहीं होने से प्राथना-पज गिरल योग्य है व प्राथीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपाखिले का कारण युमिलेपुमल नहीं है। अतः प्राथना पज नम्बर 245/13 पर पुनः लिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः युमिलेपुमल कारणों के कारण से गिरल योग्य है।</p> <p>मैंने वादी का प्राथना पज आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 का अध्ययन किया। जज मनन किया गया। व उमम परस की बहस परमनन किया। अतः आदेश दिया जाता है कि वादी का प्राथना पज आदेश 9 नियम 9 व धारा</p>	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>151 अल्फाकार किया जाता है। पञ्जापत्नी फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">⊗</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मंडल जिला भीलवाड़ा</p>	